


178
न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

म0प्र0



II/किरानी/शहडोल/भू.श/2018/2023

देवेन्द कुमार जैन पिता स्व. वीरचंद जैन निवासी मिश्रा कॉलोनी धनपुरी, तहसील बुढ़ार
जिला-शहडोल (म0प्र0) आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. सुनील कुमार जैन पिता स्व. वीरेन्द्र कुमार जैन,
निवासी चौधरी हाउस वेयर बुढ़ार,पो.आ.,थाना व तहसील बुढ़ार,जिला-शहडोल (म.प्र.)
2. संजय चौधरी पिता वीरेन्द्र कुमार जैन
निवासी धनपुरी कॉलोनी डी.ए.व्ही. लिटिल ब्लासम स्कूल के बगल में धनपुरी थाना,पो.आ. व
तहसील बुढ़ार जिला-शहडोल (म0प्र0).....

अनावेदकगण/उत्तरवादीगण

श्री राजस्व मण्डल द्वारा आज दि. 26-3-18
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 6-4-18 नियत।

कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल: ग्वालियर

राजस्व निगरानी

विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर शहडोल
जिला-शहडोल (म0प्र0) बसिलसिले रा0प्र0क0-
04/पुनर्विलोकन/2017-18 आदेश दिनांक 08.03.2018
निगरानी अंतर्गत धारा 50 (I) म0प्र0भूरा0सं0

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- दो / निगरानी / शहडोल / भू.रा. / 2018 / 2023

देवेन्द्र कुमार जैन विरुद्ध सुनील कुमार जैन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री अशोक भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर शहडोल, जिला-शहडोल के प्र. क्र. 04/पुनर्विलोकन/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 08-03-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 22-4-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>22/2/19</p>